उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-21/2016/916/तीस-4-2016-8(5)/2015
लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई,2016

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, सन् 1988) की धारा-129 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा-212 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियॉं और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:

प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में आपत्तियॉं और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर प्राप्त होंगे।

ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने लिखित रूप में आपत्तियॉं और सुझाव दाखिल किया है, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4, सचिवालय, लखनऊ के समक्ष दिनांक 11 अगस्त, 2016 को पूर्वान्ह् 01.00 बजे उनके बापू भवन स्थित कक्ष में सुनवाई के लिये उपस्थित हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान (तेइसवॉं संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (तेइसवॉं संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 201 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 201 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात,

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
201 (1) प्रत्येक व्यक्ति, जब वह मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो यथा उस पर सवार हो नीचे उप नियम (2) में दी गयी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा। (2) प्रत्येक सुरक्षा टोप- (एक) भारत मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगा, (दो) पर ऐसी रीति से स्थायी और सुपाठ्य लेबिल लगा हो कि लेबिल या लेबिलों को पैडिंग को	201 (1) प्रत्येक व्यक्ति, जबकि वह मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो या उस पर सवार (पीछे बैठी सवारी) हो, नीचे उप नियम (2) में दी गयी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा। (2) प्रत्येक सुरक्षा टोप- (एक) भारत मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगा, (दो) पर ऐसी रीति से स्थायी और सुपाठ्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

या कोई अन्य स्थायी सारवान विवरण को यथा- (क) निर्माता का नाम और पहचान, (ख) आकार, (ग) निर्माण का मास और वर्ष, और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह, हटाये बिना आसानी से पढ़ा जा सके। (तीन) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्ती लाल रंग की पट्टियॉं जिनका आकार 2 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो और क्षैतिज स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे चिपकी हो जो रात्रि के दौरान चमकेगी। परन्तु यह कि इस नियम का उप नियम (1) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा- (क) किसी मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पिछली सीट पर बैठने वाली प्रत्येक सवारी, (ख) सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला कोई व्यक्ति जो पगड़ी बॉंधे हो। स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिये पगड़ी का तात्पर्य 7 मीटर X 82 सैंटीमीटर के कपड़े से है जिसे कोई व्यक्ति, जब सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो, अपने सिर के चारों ओर बॉंध सकता है।	लेबिल लगा हो कि लेबिल या लेबिलों को पैडिंग को या कोई अन्य स्थायी सारवान विवरण को यथा- (क) निर्माता का नाम और पहचान, (ख) आकार, (ग) निर्माण का मास और वर्ष, और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह, हटाये बिना आसानी से पढ़ा जा सके। (तीन) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्ती लाल रंग की पट्टियॉं, जिनका आकार 2 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो और क्षैतिज स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे चिपकी हों जो रात्रि के दौरान चमकेगी: परन्तु यह कि इस नियम का उप नियम (1) सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला किसी व्यक्ति, जो पगड़ी बॉंधे हो, पर लागू नहीं होगा।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-21/2016/916(1)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 06 जुलाई, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-21/2016/916(2)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, (द्वारा परिवहन आयुक्त)
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 21 /2016/916/XXX-4-2016-8(5)/2015 dated July 06 , 2016

Notification

No.21 /2016/ 916/XXX-4-2016-8(5)/2015
Lucknow Dated July 06, 2016

The following draft-rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 129 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 is hereby published as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act of 1988 for all concerned and with view to inviting objections and suggestions is respect thereof;

Objections and suggestions, if any, with respect to the proposed rules should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Parivahan Vibhag, Bapu Bhawan, Sachivalay, Lucknow. Only such objections and suggestions as are received within thirty days from the date of publication of this notification in the Gazette shall be taken into consideration.

The persons who file their objections and suggestions in writing may appear before Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Parivahan Anubhagh-4 Sachivalay, Lucknow in his office room at Bapu Bhawan for hearing on dated August 11, 2016 at 01.00 pm.

The Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty Third Amendment) Rules, 2016

Short title and Commencement

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty Third Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of rule 201

2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 for the existing rule 201 set out in column-1 below, the rule as set out in the column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
201(1) Every person while driving or riding a motorcycle, a scooter or moped shall wear a protective	201(1) Every person while driving or riding (Pillion Ridder) a motorcycle, a scooter or moped shall wear a protective headgear

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

headgear conforming to the specification given in sub-rule (2) below:

(2) Each protective headgear shall-

(i) be of specifications of Bureau of Indian standard.

(ii) be permanently and legibly labeled in such manner that level of levels can be read easily without removing padding or any other permanent material description such as-

(a) manufacturers name of identification;
(b) size;
(c) month and year of manufacture, and
(d) the mark of Bureau of Indian Standards.

(iii) have minimum three adhesive type retroflective red color strips of the size of 2 centimetres multiplied by 15 centimeters affixed horizontally on back of the headgear which will illuminate during the night:

Provided that sub-rule (1) of this rule shall not apply to-

(a) every pillion rider of a motor cycle, scooter or a moped,
(b) any reason wearing a turban while driving a motor cycle, scooter or a moped in a public place.

Explanation :- For the purpose of this rule turban means cloth 6 meters by 82 centimetres which any person whill driving a motor cycle, scooter or moped in a public place may tie as such around his head.

conforming to the specification given in sub-rule (2) below:

(2) Each protective headgear shall-

(i) be of specifications of Bureau of Indian standard.

(ii) be permanently and legibly labeled in such manner that level of levels can be read easily without removing padding or any other permanent material description such as-

(a) manufacturers name of identification;
(b) size;
(c) month and year of manufacture, and
(d) the mark of Bureau of Indian Standards.

(iii) have minimum three adhesive type retroflective red color strips of the size of 2 centimetres multiplied by 15 centimetres affixed horizontally on back of the headgear which will illuminate during the night:

Provided that sub-rule (1) of this rule shall not apply to any reason wearing a turban while driving a motor cycle, scooter or a moped in a public place.

By Order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।